न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन

मुकदमा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा /103/2017
तारीख रजु 1.9.2017

उनवान

फतेह सिंह, टीकम पिसरान रामजीलाल जाति जाट निवासी भंगो तहसील हिण्डौन जिला करौली।

------सायलान(02)

वनाम

जगमोहन पुत्र कुंदन वगै. जाति जाट निवासी भंगो तहसील हिण्डोन सिटी जिला करौली

-------गैरसायलान(03)

उपस्थितिः–
वादीगण की ओर से :– श्री विजयसिंह एडवाकेट।
प्रतिवादीगण की ओर से :– श्री एस.एल.चौधरी एडवोकेट।

निर्णय

दिनांक 27.11.2019

संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि वादीगण की ओर वकालतन एक प्रार्थना पत्र मय मूल दावा ग्राम भंगो तहसील हिण्डोन के खसरा नंबर 233, 79, 80, 81, 197, 199, 200, 201, 202, 204 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु पेश किया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिए नोटिस तलव किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान वकील गेरसायलान को जवाब दावा पेश करने हेतु कई अवसर दिऐ गये । पत्रावाली पत्रावली दिनांक 27.11.2019 को जवाब प्रार्थना पत्र की स्टेज पर पेश हुई। बार–बार आवाज दिलाई गई । वकील उभयपक्ष उपस्थित नहीं आए । जिससे जाहिर होता है कि उभय पक्ष उक्त प्रार्थना पत्र में में कोई रूचि नहीं ले रहा है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मुकदमा नंबर 103/2017 फतेहसिंह बनाम जगमोहन अदम पैरवी, अदम [illegible] वं अदम तकमील में खारिज किया जाता है। [illegible] आज दिनांक [illegible].11.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर [illegible] फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.02.19 13:15:48 IST
Reason: SelfAttested

27.11.19

(सुरेश कुमार यादव)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

Scanned by CamScanner